संख्या-05/2023/1494/001-1494-23-10-22-50-सामान्य-2022टी0सी0

प्रेषक,

प्रभुनाथ ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ दिनांक 09 जनवरी,2023**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत गोंडा के 03 चालू सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (सेतु विंग) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-2405/सी0ई0-एस0ई0बी0/आर0वाई0बी0/जी0ओ0एन0/2022-23 दिनांक 08.12.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत जनपद गोण्डा के 03 चालू सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित तालिका के कॉलम-04 में अंकित कार्यों के सापेक्ष तालिका के कॉलम-13 में अंकित लागत कुल धनराशि रू0 241.15 लाख (रूपये दो करोड़ इक्तालिस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः- **(धनराशि लाख रूपये में)**

क्र सं.	क्षेत्र का नाम	खण्ड/ जनपद	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनॉक 31.3.2021 तक आवंटन	दिनॉक 1.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23 आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गोंडा	प्रा.ख. श्रावस्ती	जनपद श्रावस्ती के वि0ख0 गिलौला में परसिया भवानीनगर में नाले पर 5x6 मी0 स्पान का आर0सी0सी0 लघु सेतु के निर्माण कार्य।	240.20	5.00	235.20	3.73	0.00	231.47	**182.38**	**49.09**	**231.47**
2	गोंडा	नि.ख.1 गोण्डा	जनपद गोण्डा में महेशपुर सम्पर्क मार्ग पर राम मन्दिर पूरे बृजघाट स्थानीय नाले पर 2x6 मी स्पान . निर्माण का कल्वर्ट बाक्स .सी.सी.आर कार्य।	81.91	77.49	4.42	0.32	0.00	4.10	**3.23**	**0.87**	**4.10**
3	गोंडा	नि.ख.1 गोण्डा	जनपद गोण्डा में नवाबगंज ढ़ेमवाघाट मार्ग -किमी के (मार्ग जिला अन्य)6 में स्थानीय भगला नाला पर क्षतिग्रस्त 4x3 आर्च कल्वर्ट के स्थान पर 2x6 मी .आरबाक्स .सी.सी. कल्वर्ट के निर्माण कार्य।	111.58	105.59	5.99	0.41	0.00	5.58	**4.40**	**1.18**	**5.58**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र सं.	क्षेत्र का नाम	खण्ड/जनपद	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनॉक 31.3.2021 तक आवंटन	दिनॉक 1.04.2022 का अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23 आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			योग -	433.69	188.08	245.61	4.46	0.0	241.15	190.01	51.14	241.15

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि केवल उपरोक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/ विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।

(2) **उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी ।**

2- **इस संबंध में होने वाला व्यय** (1) **रुपये** 1,90,01,000 (**रुपये एक करोड़ नब्बे लाख एक हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या** 057 **लेखाशीर्षक** 5054041010421 **कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य** (**चालू योजना**) **मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य** (2) **रुपये** 51,14,000 (**रुपये इक्यावन लाख चौदह हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047891400 **कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण** (**चालू कार्य**) **मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

3- **यह आदेश वित्त** (**आय-व्ययक**) **अनुभाग**-1 **के कार्यालय ज्ञाप संख्या**-13/2022/**बी**-1-454/**दस**-2022-231/2022, **दिनांक**-07 **जून**, 2022 **मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या-05/2023/1494/001-1494-23-10-22-50-सामान्य-2022टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) **महालेखाकार** (**लेखा एवं हकदारी**) **प्रथम/द्वितीय**, उ0प्र0 **प्रयागराज ।**
(2) **महालेखाकार** (**लेखा-परीक्षा**) **प्रथम/द्वितीय**, उ0प्र0 **प्रयागराज ।**
(3) **संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।**
(4) **संबंधित मुख्य अभियंता**, **लोक निर्माण विभाग ।**
(5) **मुख्य अभियंता** (**सेतु**), **लोक निर्माण विभाग**, **लखनऊ ।**
(6) **वित्त** (**व्यय-नियंत्रण**) **अनुभाग**-8**।**
(7) **राज्य योजना आयोग अनुभाग**-1/2 **।**
(8) **श्री राजेश प्रताप सिंह** (**उप सचिव/नोडल अधिकारी**), **लोक निर्माण विभाग ।**
(9) **गार्ड फाइल ।**

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in